न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 14/2023

अनवान

1. अनाराम पुत्र मोटा, आयु 62 वर्ष।
2. त्रिकमाराम पुत्र मोटा, उम्र 60 वर्ष, कौम कलबी, निवासीगण जीवा का गोलीया – कारोला, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर।

..........प्रार्थीगण

1. मोटा पुत्र हरजी।
2. पुरखाराम पुत्र मोटाराम।
3. सांवलाराम पुत्र मोटाराम।
4. नावी देवी पत्नि चेलाराम जातियान–कलबी, निवासीगण –जीवा का कारोला, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर।
5. तहसीलदार (भूमिधारी), सांचौर, तहसील–सांचौर।
6. उपपंजीयन अधिकारी–सांचौर, तहसील–सांचौर।

.........अप्रार्थीगण

प्रार्थन पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. गणपतलाल वैष्णव प्रार्थीगण अधिवकता।
2. सगताराम चौधरी, पुरुषोतम दवे, प्रवीण कुमार दवे अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

दिनांक:– 18.02.2025

1. प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा राज. काश्त. अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि हम प्रार्थीगण ग्राम–जीवा का गोलीया–कारोला, तहसील–सांचौर के स्थाई निवासी हैं तथा हम प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या–1 मोटा पुत्र हरजी, कौम–कलबी, निवासी–जीवा का गोलीया–कारोला के नाम की हमारी पैतृक खातेदारी भूमि नवीन खेत खसरा नंबर–2408 रकबा 2.9080 हैक्टर चाही दोयम, जाव दोयम, खसरा नंबर–2409 रकबा 0.05 हैक्टर गैर मुमकीन ढाणी, खसरा नंबर–2410 रकबा 0.44 हैक्टर चाही दोयम, जाव दोयम, खसरा नंबर–2415 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकीन बेरा, खसरा नंबर–2416 रकबा 0.4260 हैक्टर चाही दोयम, जाव दोयम, खसरा नंबर–2822/2408 रकबा–2.70 हैक्टर चाही दोयम, जाव दोयम, खसरा नंबर–2859/2416 रकबा 0.20 हैक्टर चाही दोयम, जाव दोयम कुल रकबा 6.7340 हैक्टर की आई हुई है। वादग्रस्त आराजी प्रथम सैटलमेंट में हम प्रार्थीगण के दादा हरजी पुत्र गोवा कलबी के नाम से दर्ज थी तथा हमारे दादा हरजी के फौत होने पर हम प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या–[illegible] हरजी के नाम से जरिये उत्तराधिकार राजस्व रेकर्ड में द[illegible] हम प्रार्थीगण की पैतृक संपति हैं तथा अप्रार्थी संख्या–1 मोटा के [illegible] संतान अना, विरमा, चेला, त्रिकमाराम, परखा, सांवला हैं तथा विरमा फौत हो गया है, जिनके एक पुत्र ग[illegible] पत्नी अमीया वारिसांन हैं। इस प्रकार वादग्रस्त आरा[illegible] में हम प्रार्थीगण का 2/[illegible] हिस्सा कानूनिया बनता हैं एवं वादग्रस्त आराजी हमारी पैतृक संपति होने से उसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.25 16:37:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

हमारा जन्मसिद्व अधिकार हैं। अप्रार्थी संख्या–1 जो उम्रदराज व्यक्ति हैं तथा लकवा की बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनका नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या–1 के अन्य पुत्रगण चेला, परखा आदि वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी संख्या–1 से अपने नाम करवाना चाहते हैं जो गलत एवं विधि विरुद्ध हैं। चूंकि वादग्रस्त आराजी हम प्रार्थीगण की पैतृक संपति हैं तथा उसमें हम प्रार्थीगण का बॉय बर्थ राईट्स पैदा होता हैं। वादग्रस्त आराजी हमारी पैतृक संपति होने से उसे अप्रार्थी संख्या–1 को बैचान या हस्तांतरण वगैरा करने का कोई कानूनिया अधिकार नहीं हैं। ऐसी सूरत में यदि अप्रार्थीगण को अविलम्ब जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका गया तो अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी बैचान, रहन, भोगलावा, गिरवी, तर्क, बख्शीश वगैरा कर देगा, जिससे हम प्रार्थीगण को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी, जिसका आकलन रूपयों–पैसों में किया जाना कतई मुमकीन नहीं होगा। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर माननीय अदालत से निवेदन हैं कि ताफैसला मूल वाद बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा सादीर फरमाई जावें कि वे वाके सरहद मौजा–जीवा का गोलीया, पटवार हल्का–कारोला, तहसील–सांचौर में स्थित आराजी नवीन खेत खसरा नंबर–2408 रकबा 2.9080 हैक्टर, खसरा नंबर–2409 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नंबर–2410 रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नंबर–2415 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर–2416 रकबा 0.4260 हैक्टर, खसरा नंबर–2822/2408 रकबा–2.70 हैक्टर, खसरा नंबर–2859/2416 रकबा 0.20 हैक्टर जुमले रकबा–6.7340 हैक्टर में हम प्रार्थीगण के 2/7 हक हिस्से की भूमि में हमारे शांतिपूर्ण उपयोग, उपभोग व कब्जे काश्त में न तो अप्रार्थीगण स्वयं किसी प्रकार की कोई दखलंनदाजी या नुक्शअमन ही करें तथा न ही किसी अन्य से करावें तथा न ही वादग्रस्त आराजी आगे किसी को बैचान, रहन, भोगलावा, तर्क, बख्शीश वगैरा ही करें तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 04, 05, 06 को जरिये आदेश 01 नियम 10 सीपीसी में पक्षकार संयोजित किये गये। अप्रार्थी संख्या 01, 04 से 06 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र के अवतरण संख्या 1 का जबाव इस कदर है कि अवतरण में वर्णित आराजी ग्राम जीवा का गोलिया में अवश्य मौजुद है लेकिन यह तथ्य बिल्कुल गलत व निराधार है कि अवतरण संख्या 1 में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति हो वास्तविकता यह है कि अवतरण में वर्णित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 मोटाराम की स्वअर्जित सम्पति है इसमें प्रार्थीगण का कोई हक हकुक हिस्सा अप्रार्थी मोटाराम के जीवनकाल में नहीं बनता है। तथा न ही प्रार्थीगण अप्रार्थी मोटाराम की देख–भाल, सेवा–चाकरी या दवाई इलाज ही करवाते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। प्रार्थना पत्र का अवतरण संख्या 2 गलत होने से अस्वीकार है जबाव इस कदर है कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का अप्रार्थी मोटाराम के जीवनकाल में कोई हक हकुक नही बनता है। यह कहना कतई गलत है कि वादग्रस्त आराजी प्रथम सैटलमेट के समय हरजी पुत्र गोवा के नाम से हो, वास्तविकता यह है कि वादग्रस्त आराजी प्रथम सैटलमेन्ट के समय भी अप्रार्थी संख्या 1 मोटाराम के नाम से ही थी जो अप्रार्थी मोटाराम की स्वअर्जित सम्पति है प्रार्थीगण ने इस अवतरण में मोटाराम के छः सन्तान होने का वर्णन किया गया है लेकिन उन्हे इस वाद में पक्षकार नही बनाये है। ऐसी सुरत में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से काबिल खारिज है। प्रार्थना पत्र का अवतरण संख्या 3 का जबाव इस [illegible] के यह बात सही है कि अप्रार्थी मोटाराम अधिकतर बीमार रहते है लेकिन [illegible] नही है अप्रार्थी मोटाराम के इलाज का खाना–पिना, [illegible] आदि की व्यवस्था मोटाराम के पुत्र पुरखाराम, सांवला[illegible] करते आ रहे हैं प्रार्थीगण ने आज दिन तक अप्रार्थी मोटाराम को खाना–पिना, रोटी–कपड़े [illegible]ाई इलाज आदि का खर्चा नहीं किया है जो उनका नैतिक कर्तव्य बनता है। इस कारण अप्रार्थी मोटाराम ने अपने पुत्र पुरखाराम, सांवलाराम व चेलाराम की पत्नि नावीदेवी के नाम कमशः 0.22 हैक्टर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.25 16:37:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

0.22 हैक्टर, 1.1216 हैक्टर भूमि का दानपत्र करवाया है। पुरखाराम, सांवलाराम व नावीदेवी को दी गई जमीन में उनके पक्के मकान, बेरे, विद्युत कनेक्शन आदि मौजुद है। प्रार्थीगण से प्रतिप्रार्थी मोटाराम ने उनके इलाज, खान–पान, रहन–सहन हेतु खर्चा मांगा गया लेकिन नही देने पर अप्रार्थी मोटाराम द्वारा पुरखाराम, सांवलाराम व नावीदेवी के नाम जमीन करवाई है क्योकि ये ही अप्रार्थी मोटाराम के जीवनयापन का सारा खर्चा वहन करते आ रहे है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। प्रार्थना पत्र का अवतरण संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार है जबाव इस कदर है कि प्रार्थीगण अपने कर्तव्यो का पालन नही कर रहे है इस कारण प्रार्थीगण का अपने पिता के जीवन काल में अपने पिता की स्वअर्जित सम्पति पर कोई कानूनी अधिकार नही बनता है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। वाद पत्र का अवतरण संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है जबाव इस कदर है कि जबाव इस कदर है कि प्रतिप्रार्थी मोटाराम ने प्रार्थीगण से इलाज बाबत खर्चा मांगा गया तो मना कर देने पर प्रतिप्रार्थी का हमेंशा से खर्चा पुरखाराम, सांवलाराम व चेलाराम वहन करने के कारण प्रतिप्रार्थी मोटाराम ने उनके नाम जमीन कर देने के कारण दावा किया है वैसे भी प्रतिप्रार्थी मोटाराम ने अपने नोशनल शेयर से ज्यादा का हस्तान्तरण नही किया गया है अतः प्रार्थीगण का वाद काबिल खारिज है।

3. प्रकरण में दोनों पक्षों के अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई।

4. प्रार्थीगण अधिवक्ता ने कथन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक आराजी है, जबकी जिस पर प्रार्थीगण का 2/7 हिस्सा कानूनिया बनता है। अप्रार्थी सं. 01 उक्त वादग्रस्त आराजी को विधि विरुद्व रुप से बैचान हस्तांतरण करने पर तुले हुये है, जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना विधि सम्मत है।

5. प्रत्युत्तर में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक न होकर अप्रार्थी सं. 01 की स्वअर्जित संपति है। इसमें प्रार्थीगण का कोई हक हकूक नहीं बनता है वादग्रस्त आराजी प्रथम सेटलमेंट से ही अप्रार्थी मोटाराम के नाम दर्ज थी। अप्रार्थी सं. 01 ने अपने नोशनल शेयर से ज्यादा का हस्तांतरण नहीं किया है। प्रार्थीगण का अप्रार्थी 01 के जीवनकाल में अपने पिता की स्वअर्जित संपति पर कोई हक नहीं बनने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है।

6. मैने उभय पत्र के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी प्रथम सेटलमेंट में हरजी वल्द गोवा के नाम होना तथा हरजी के फौत होने पर उक्त आराजी प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी सं. 1 मोटा वल्द हरजी के नाम से जरिये उतराधिकार के रुप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने का कथन किया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त तथ्य के प्रमाण में ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज तथा साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त आराजी हरजी वल्द गोवा के नाम दर्ज रही हो। इस तरह से वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी सं. 01 नाम से शुरु से दर्ज होना प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी पैतृक साबित नहीं कर पाने से मामला प्रथम दृष्टया तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से अपूर्णीय क्षति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का अस्वीकार

7. फलस्वरुप उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का तद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तथा इस न्यायालय आदेश दिनांक 05.06.2023 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली शुमार हो। पक्षकार अपना अपना खर्च वहन करे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.25 16:37:12 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
सांचौर

सहायक कलक्टर, सांचौर

Scanned with OKEN Scanner